05 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित प्रपत्र ए का शुद्धिपत्र

सार्वजनिक उद्घोषणा

(दिवाला तथा दिवालियापन संहिता (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत)

वी. हॉर्मोनल कंसेप्ट प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

1) को इस प्रकार पढ़ें (जहाँ दावे जमा करने की अंतिम तिथि गलत थी)	
जमा करने की अंतिम तिथि	15.11.2019

अधोलिखित टिप्पणी इस प्रकार पढ़ें

(जहाँ दावे जमा करने की अंतिम तिथि गलत थी)

हॉउसिंग कंसेप्ट प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि 19 को या उससे पूर्व प्रविष्टि सं. 10 पे. समक्ष वर्णित ब्यौरे पर अंतरिम प्रस्ताव के पास अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

मनीश गुप्ता

ली अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल

1.2019 पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01131/2018-19/11826

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: औद्योगिक क्षेत्र, एटलस रोड, सोनीपत 131001

CIN No. L35923HR1950PLC001614

टेली: 0130-2200001-06, फैक्स: 0130-2200016,

ई-मेल: companysecretary@atlascyclesun.wipot.co.in, वेबसाईट:www.atlashcycles.com

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29 तथा विनियम 47 के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की एक बैठक शुक्रवार, 14 नवम्बर, 2019 को 5.00 बजे सायं से 5 ओमेक्स प्लॉ. नई दिल्ली 110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य कार्यों के अलावा 30.9.2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन एवं कंसोलिडेटेड) पर विचार एवं अनुमोदन किये जाने प्रस्तावित है।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.atlascycles.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड

हस्ता./

दिनांक: 5.11.2019 निखिल सिंदल

स्थान: सोनीपत कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

अशारी एजेन्सीज लिमि

पंजी. कार्यालय: 30, सिंहल अस्पताल रोड, जोरहाट, असम प्रदेश, सोनपत पूर्वी 2[illegible]

(E) kamleshpratik2001@yahoo.co

(W) www.ashariagencies.in

CIN: L65921UR1995PLC007030

फोन: 0120-4122044,

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 सहपठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 47 के साथ पठित विनियम 29 एवं 4[illegible] के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों के विशेष संकल्प के जरिये कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण हेतु कम्पनी के ज्ञापन एवं आलेख में परिवर्तन करने के लिये कम्पनी के सदस्यों की असाधारण आम बैठक शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

[illegible]

दिनांक: 5.11.2019 [illegible]

टाटा कॉपरेट हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

11वीं तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013

CIN No. U67190MH2008PLC187552

भाग सूचना

[illegible]

डेबेंचर (सैरीज) धारकों का नाम	नीचे वर्णित निधि को कुल बकाया राशि (रु.)*	भाग चुकता निधि (एआरपी की तिथि
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	रु. 33,30,120/-	02-मार्च-2019

विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN No.: L25209RJ2009PLC030620

पंजीकृत कार्यालय: 312, सर्वोत्तम कॉम्प्लेक्स, 26, स्टेशन रोड, जयपुर 302006 (राज.)इंडिया फोन: +91-141-2377007

नोटिस

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण एवं प्रकटन अपेक्षाएं) रेगुलेशन 2015 के नियम 47 (1) (ए) के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार, 14 नवम्बर, 2019 को 3.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 312, नवजीवन कॉम्प्लेक्स, 26, स्टेशन रोड, जयपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही/अर्द्धवार्षिक/वर्ष के लिए कंपनी के गैरअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.vinayakpolycon.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

वास्ते-विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

ह/-

रश्मि अग्रवाल

दिनांक: 05.11.2019 कंपनी सचिव एवं

स्थान : जयपुर अनुपालन अधिकारी

ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड

सीआईएन : L71999DL1981PLC018610

पंजीकृत कार्यालय : डी 3/3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज II, नई दिल्ली 110020

वेबसाइट : www.ebl.co.in

ई-मेल : secretarial@ebl.co.in, contact@ebl.co.in

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुपालन में, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त वैमाहा एवं छमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों तथा व्यवसृपी की अन्य मदों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक शुक्रवार, 13 नवम्बर, 2019 को 11:30 बजे पूर्वाह्न इसमें एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परिणाम एवं अनुशंसा की जायेगी

उक्त सूचना तथा कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम www.ebl.co.in, www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी।

कृते ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली ह/-

दिनांक: 05.11.2019 रेखा मल्होत्रा

(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

जगन लैम्प्स लिमिटे

पंजीयत कार्यालय : मोहल्ला खाक बाबाजी, कुंडली, जिला-सोनीपत, हरियाणा-1310

दूरभाष : 01 83148 05077

ई मेल : cs@jaganlamps.com

वेबसाइट : www.Jaganlamps.co

सीआईएन : L31501HR1993PLC02

14.11. 2019 को आयोजित होने वाली व बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीकरण दा [illegible] विनियम, 2015 के विनियम [illegible] अनुसार 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही [illegible] हेतु अन्य बातों के साथ साथ कम्पनी के अनेक वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन तथा [illegible] लिए जगन लैम्प्स लिमिटेड की कोई बैठक शुक्रवार, [illegible] को आयोजित की जायेगी।

कृते जगन लैम्प्स

दिनांक : 04.11.2019 सं

स्थान : कुंडली (सोनीपत) ह/-

आन्ध्रा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

एरीयाएल हेडक्वार्टर: एन्हुलाल शोरूम, नोएडा

[illegible]

कब्जा सूचना

[illegible] प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1)

(अचल सम्पत्ति के लिये)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित मांग ये. अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 9 जारी कर ऋणधारक श्री पी. छोटे नाथ यादव को सूचना की प्राप्ति की तिथि से के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 5,79,048 (रुपये पांच लाख उन्यासी हजार [illegible] वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम सूचित किया जाता है कि आज, 31 अक्तूबर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त [illegible] प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित [illegible] कब्जा कर लिया है

का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ म की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ये ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वि का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऋणधारक राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्तियों का विवरण

[illegible] में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा:

[illegible] फ्लैट नं. 2, बीएफ, ब्लॉक-सी-18, सेक्टर-71, नोएडा में स्थित भूमि [illegible] आवासीय, माप लगभग 251 वर्ग फीट। चौहद्दी: पूर्वः केदार सिंह की सम्पत्ति, फ्लैट, उत्तरः शकुन्तला देवी का फ्लैट, दक्षिणः 10 फीट रोड।

इंडियन ओवरसीज बैंक

शाखा (1297) सुपरमीएफ 36, सेक्टर 11 12, हुडा जिला शाखा

फोन: 0180-2660822, ईमेल: inb1297@iob.in

कब्जा सूचना (सांकेतिक) (परिशिष्ट-IV-A नियम 8(1))

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक जिसे कि [illegible] प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों [illegible] अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 10.5.2019 जारी कर ऋणधारक मै. प्रार्थना इक्विपमेन्ट्स प्रा.लि., द्वारा उसके निदेशकों गोरखदास [illegible] पुत्र स्व. श्री परम सुख देवान, कार्यालय का पता: पचरंगा चौराहा, फरीदाबाद-121003 तथा गोरखदास [illegible] श्रीमती पारुल देवान [illegible] श्रीमती उषा देवान, पत्नी श्री परम सुख देवान, पता: मकान सं. 557, न्यू गुरुदेव नगर, पानीपत, हरियाणा, पिन कोड: 132103 (जहां लिया गई/ प्रतिभूत) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 30.4.2019 की रु. 1,92,15,218.45 (रुपये एक करोड़ बानवे लाख पन्द्रह हजार दो सौ अठारह तथा पैसे पैंतालीस मात्र) राशि भुगतान की तिथि तक अनुप्रोदित दरों एवं रेस्ट पर ब्याज के साथ, चार्जेज आदि वापसी का [illegible] था।

1) ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 2 [illegible] 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें [illegible] का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा उक्त सम्पत्ति [illegible] भी प्रकार का व्यवसाय नीचे सूचना जारी करने से बाद, अगली यदि कोई जो गई हो, वसे पहलाम नीचे सूचना में उल्लेखित तिथि से भुगतान तक [illegible] तक [illegible] पर ब्याज के साथ रु. 2,05,13,186.41 (रुपये दो करोड़ पाँच लाख तेरह हजार एक सौ छियासी पैसे इकतालीस मात्र) के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कृपया ध्यान दें कि ऋणदाता को [illegible] तक [illegible] के अलावा, चार्जेज आदि के साथ 31.10.2019 को रु. 2,05,13,186.41 (रुपये दो करोड़ पाँच लाख तेरह हजार एक सौ छियासी पैसे इकतालीस मात्र) देय थे।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1) बंधकीकरण में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा:

क्रम सं.	सम्पत्ति का विवरण
1.	श्रीमती उषा देवान, पत्नी स्व. श्री परम सुख देवान एवं श्री नवीन देवान पुत्र स्व. श्री परम सुख देवान के स्वामित्व में [illegible] नं. 1002 [illegible] पार्क नं. 1, मुल्लांपुर गरीब, कुराली पंचायत के विकास, पानीपत में 200 वर्ग गज [illegible] के अनुसार) तथा 192.25 वर्ग मीटर (2068 वर्ग फीट के समतुल्य) [illegible] सम्पत्ति का [illegible] मार्गीय। उत्तरः रंगुशर्मा का मकान, दक्षिणः 30 फीट रोड का मकान, पूर्वः रोड, पश्चिमः प्लॉट नंबर
2.	श्रीमती पारुल देवान, पत्नी श्री नवीन देवान के स्वामित्व में [illegible] नं. 16, सम्पत्ति/मकान सं. 224, [illegible] भाग, गली नं. 3, कुमार पार्क [illegible] पानीपत का [illegible] मार्गीय। चतुर्दीय की चौहद्दी उत्तरः गली नं. 14, दक्षिणः प्लॉट नं. 16, पूर्वः श्रीराम शर्मा का मकान, पश्चिमः गली
3.	श्रीमती पारुल देवान, पत्नी श्री नवीन देवान के स्वामित्व में [illegible] नं. 4, सम्पत्ति/मकान सं. 224, [illegible] भाग, गली नं. 3, कुमार पार्क [illegible] पानीपत का [illegible] मार्गीय। चतुर्दीय की चौहद्दी उत्तरः गली नं. 14, दक्षिणः प्लॉट नं. 15, पूर्वः श्री हेंगा राम का मकान, पश्चिमः गली
4.	श्री नवीन देवान, पुत्र स्व. श्री परम सुख देवान के स्वामित्व में पड़ी इमारत डाबाली जोगरीर कालोनी के नाम से विदित, बरसात रोड के [illegible] स्थित फैक्ट्री शेड वाली भाग वाला, माप 2016 वर्ग यार्डस (माप के अनुसार) तथा 2064 वर्ग यार्डस (सिटी प्लेसेज के अनुसार) के समतुल्य [illegible] का विस्तार। सम्पत्ति की चौहद्दी: उत्तरः गेट, दक्षिणः स्वामी का खाली प्लॉट, पश्चिमः एसिया सिलन्स